

मथिलिा मखाना हेतु GI टैग

हाल ही में सरकार ने मथिलिा मखाना को [भौगोलिक संकेतक \(GI\) टैग](#) प्रदान किया है।

- इस कदम से उत्पादकों को उनकी प्रीमियम उपज के लिये अधिकतम मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलने की उम्मीद है।



भौगोलिक संकेतक (GI) टैग

■ परिचय:

- GI एक संकेतक है, जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह [वशिव वयापार संगठन](#) के बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) के व्यापार-संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है।
 - **पेरिस कन्वेंशन** के अनुच्छेद 1 (2) और 10 के तहत यह नरिणय लयिा गया और यह भी कहा गया कौदयोगकि संपत्तौ और **भौगोलिक संकेत** का संरक्षण बौद्धिक संपदा के तत्त्व हैं।
- यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक या नरिमति उत्पाद (हस्तशलिप और औदयोगकि सामान) है।

■ वैधता:

- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतरिकित अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।

■ भौगोलिक संकेतक का महत्त्व:

- एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोई अन्य नरिमाता समान उत्पादों के वपिणन के लिये इसके नाम का **दुरुपयोग नहीं** कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुवधि प्रदान करता है।
- कसिी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
- जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के नरियात को बढ़ावा देता है और वशिव वयापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।

- GI टैग उत्पाद के नरियात को बढ़ावा देने में मदद करता है।
- यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।
- **GI रजिस्ट्रेशन:**
 - GI उत्पादों के पंजीकरण की उचित प्रक्रिया है जिसमें आवेदन दाखल करना, प्रारंभिक जाँच और परीक्षा, कारण बताओ नोटिस, भौगोलिक संकेत पत्रिका में प्रकाशन, पंजीकरण का वरीध और पंजीकरण शामिल है।
 - कानून द्वारा या उसके तहत स्थापित व्यक्तियों, उत्पादकों, संगठन या प्राधिकरण का कोई भी संघ आवेदन कर सकता है।
 - आवेदक को उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये।
- **GI टैग उत्पाद:**
 - कुछ प्रसिद्ध वस्तुएँ जिनको यह टैग प्रदान किया गया है उनमें **बासमती चावल**, **दारजलिगि चाय**, **चंदेरी फ़ैब्रिक**, **मैसूर सलिक**, **कुल्लू शॉल**, **कांगड़ा चाय**, **तंजावुर पेंटिंग**, **इलाहाबाद सुरखा**, **फर्रुखाबाद प्रटि**, **लखनऊ जरदोजी**, **कश्मीर केसर** और **कश्मीर अखरोट की लकड़ी** की नक्काशी शामिल हैं।

मथिला मखाना

- मथिला मखाना या माखन (वानस्पतिक नाम: यूरीले फेरोक्स सालसिब) बहिर और नेपाल के मथिला क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक विशेष कसिम का मखाना है।
- मखाना मथिला की तीन प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों में से एक है।
 - **पान, माखन और मच्छ (मछली)** मथिला की तीन प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान हैं।
- यह नवविहित जोड़ों के लिये मनाए जाने वाले **मैथिल ब्राह्मणों के कोजागरा उत्सव में भी बहुत प्रसिद्ध है।**
- मखाने में **कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस** जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ-साथ **प्रोटीन और फाइबर** होता है।

GI टैग प्राप्त बहिर के अन्य उत्पाद:

- बहिर में उत्पादों की GI टैगिंग ने **ब्रांड निर्माण, स्थानीय रोजगार सृजित करने, एक क्षेत्रीय ब्रांड बनाने, पर्यटन में स्पनि-ऑफ प्रभाव पैदा करने, पारंपरिक ज्ञान और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण में मदद की है।**
- बहिर के कई उत्पादों को GI टैग दिया गया है, जैसे:
 - **भागलपुरी जरदालु आम**
 - कतरनी चावल
 - मगही पत्ते (पान)
 - शाही लीची
 - सलाओ खाजा (एक स्वादपिष्ट व्यंजन)
 - **मधुबनी चतुरकला**
 - पपिली वरक
- जून 2022 में, चेन्नई में भौगोलिक संकेत (GI) रजिस्ट्री ने नालंदा की **'बावन बूटी'** साड़ी, गया की **'पत्थरकट्टी पत्थर शलिप'** और हाजीपुर की **'चनिया'** कसिम के केले को GI टैग प्रदान करने के प्रारंभिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
 - **बहिर की तीन मठाइयों- खुरमा, तलिकुट और बालूशाही** को GI टैग देने का भी प्रस्ताव है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रलिस:

Q. नमिनलखिति में से कसि 'भौगोलिक संकेतक' का दर्जा प्रदान किया गया है? (2015)

1. बनारस के जरी वस्त्र एवं साड़ी
2. राजस्थानी दाल-बाटी-चूरमा
3. तरुपतलिडू

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

व्याख्या:

- भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
 - दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला उत्पाद था।
- बनारस जरी वस्त्र और साड़ी एवं तड़ित्तलडडू को जीआई टैग मिला है जबकि राजस्थान की दाल-बाटी-चूरमा को नहीं। अतः कथन 1 और 3 सही हैं। अतः विकल्प (C) सही है।

Q. भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक(पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमिति किया? (2018)

- (a) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
- (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- (d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (D)

व्याख्या:

- भौगोलिक संकेत (GI) एक प्रकार की बौद्धिक संपदा (IP) हैं। **विश्व व्यापार संगठन (WTO)**, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू (TRIPS) समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों को मान्यता देता है।
- TRIPS समझौते के अनुच्छेद 22(1) के तहत जीआई टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है।
- अतः विकल्प (D) सही है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/gi-tag-for-mithila-makhana>

